(124)

न्यायालय माननीय राजस्व मंडल ग्वालियर म.प्र. सर्किट कोर्ट रीवा म.प्र.

R 5146-III/16

1— रावेन्द्र सिंह पिता वंशपति सिंह

2— राहुल पिता रामसलोने गुप्ता

3— रामकृष्ण पिता श्री रामसलोने गुप्ता

सभी निवासी मानपुर जिला उमरिया म.प्र.

..........................**प्रार्थीगण**

बनाम्

अरूण यादव तनय प्रेमदास यादव निवासी मानपुर तह. मानपुर जिला उमरिया म.प्र.

..................**प्रतिप्रार्थी**

श्री विनोद धुरवाल एड. द्वारा आज दिनांक 15-3-16 को प्रस्तुत किया गया।

रीडर
सर्किट कोर्ट रीवा

निगरानी विरूद्ध निर्णय व आदेश कलेक्टर साहिब दिनांक 27.01.2016 जरिये प्रकरण क्र. 10/बी–121/2013–14

अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं. 1959

मान्यवर,

<u>**प्रकरण का संक्षिप्त विवरण**</u>

आराजी कमांक 722 रकबा 1.69 ए. स्थित ग्राम मानपुर का जुज रकबा 0.049 हे. जो कि मौके पर रावेन्द्र सिंह, राहुल गुप्ता और रामकृष्ण गुप्ता, आनंद गुप्ता के नाम पर शासकीय अभिलेखों में उसमें बने माकान एवं रहायिश के बतौर मालिक भूमिस्वामी दर्ज हैं। इस संबंध में अनावेदक के द्वारा दुर्भावनाग्रस्त होकर रिट याचिका माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत की है। जिसमें शिकायतकर्ता के द्वारा रावेन्द्र सिंह को सक्षम अधिकारी द्वारा किए गए आबंटन प्रकरण क्र. 188/अ–19(4)/87–88 आदेश दिनांक 29.03.90 को जो आदेश पारित किया गया था उस आधार पर आवेदक रावेन्द्र सिंह ने अर्सा पूर्व किए गए कब्जे एवं आबादी के संबंध में तहसीलदार महोदय द्वारा म.प्र. दखल रहित विशेष उपबंध अधिनियम 1984 की धारा 5(1) के तहत मानपुर की भूमि खसरा क्र. 722 रकबा 0.049 हे. लगातनी 10 पैसा का भूमिस्वामी रावेन्द्र सिंह को घोषित किया गया था। आराजी क्र. 722 से संलग्न शिकायतकर्ता अरूण यादव के पिता स्व. प्रेमदास यादव ने अपने जीवनकाल में क्रेताओं को गलत सूचना देकर आराजी क्र. 729 जिसके वे भूमिस्वामी थे के कुछ हिस्से को एवं आराजी क्र. 722 के संलग्न हिस्से को अनाधिकृत तौर पर बिक्री कर क्रेताओं को कब्जा दखल देकर सम्पूर्ण

रावेन्द्र सिंह

........2

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक 5146–तीन/2016 निगरानी जिला उमरिया

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
15-09-17	यह निगरानी कलेक्टर जिला उमरिया के प्रकरण क्रमांक 10 बी–121/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 27–1–2016 के विरूद्व मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ निगरानी की प्रचलनशीलता पर आवेदकगण के अभिभाषक के तर्क सुने तथा प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया। 3/ आवेदकगण के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने एंव कलेक्टर जिला उमरिया के प्रकरण क्रमांक 10 बी–121/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 27–1–2016 के अवलोकन से परिलक्षित है कि ग्राम मानपुर तहसील–स्तर का नगर है जिसमें स्थित भूमि सर्वे नंबर 722 एंव 742 पर भवन, मकान बनाकर अनेक व्यक्तियों ने अतिक्रमण किया है । कलेक्टर उमरिया ने अनुविभागीय अधिकारी मानपुर को जॉच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी सौंपी है। अनुविभागीय अधिकारी मानपुर ने सहायक अधीक्षक भू अभिलेख उमरिया की अध्यक्षता में जॉच दल गठित किया है एंव जॉच दल ने मौके पर पर पैमायश की है तथा सीमांकन उपरांत स्थल जॉच में पाई गई स्थिति अनुसार वास्तविक स्थिति अनुविभागीय अधिकारी मानुपर के समक्ष रखी है, जिस पर से अनुविभागीय अधिकारी मानपुर ने पत्र कमांक 86/रीडर/हा.को./प्रति/2015 दिनांक 5–3–15 से कलेक्टर उमरिया को जॉच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया। जॉच दल की जॉच कार्यवाही गलत बताते हुये एंव अनुविभागीय	

अधिकारी मानपुर के प्रतिवेदन दिनांक 5–3–15 में वर्णित तथ्यों को गलत बताते हुये कलेक्टर उमरिया के समक्ष प्रचलित प्रकरण कमांक 10/बी–121/2013–14 में आपत्ति प्रस्तुत की गई। कलेक्टर उमरिया ने आपत्ति आवेदन पर हितबद्व पक्षकारों की सुनवाई की है । हितबद्व पक्षकारों को सुनकर कलेक्टर उमरिया ने प्रकरण कमांक 10 बी–121/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 27–1–2016 से आपत्तिकर्ताओं की आपत्ति अमान्य कर दी, कलेक्टर उमरिया के इसी आदेश के विरूद्व यह निगरानी है। कलेक्टर उमरिया के आदेश दिनांक 27–1–16 के अवलोकन से परिलक्षित है कि कलेक्टर ने आपत्तिकर्ताओं को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया है तथा आपत्ति आवेदन में वर्णित सभी पहलुओं पर विचार करते हुये **Speaking order** पारित किया है । आवेदकगण के अभिभाषक यह समाधान नहीं करा सके हैं कि कलेक्टर उमरिया के आदेश दिनांक 27–1–16 में क्या कमियॉ है अथवा कलेक्टर उमरिया के आदेश में ऐसी कौनसी विसंगतियॉ है जिनके आधार पर कलेक्टर उमरिया के आदेश दिनांक 27–1–16 में हस्तक्षेप किया जावे। कलेक्टर जिला उमरिया के प्रकरण कमांक 10 बी–121/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 27–1–2016 बोलता हुआ आदेश है जिसमें किसी प्रकार की विसंगति नहीं पाये जाने से निगरानी निराधार है।

4/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से अमान्य की जाती है एंव कलेक्टर जिला उमरिया व्दारा प्रकरण कमांक 10 बी–121/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 27–1–2016 उचित होने से यथावत् रखा जाता है।

सदस्य